कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला—दुर्ग

क्रमांक / सचिवालय / 2025 / 70 / भिलाई,दिनांक...30/07/2025

प्रति,

सर्व विभाग प्रमुख कम्प्यूटर
शाखा
नगर पालिक निगम,भिलाई

विषयः— **नगरपालिक निगम, भिलाई की साधारण सम्मिलन में विचारार्थ रखे जाने वाले प्रकरणों के संबंध में।**

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2016 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत् निकट भविष्य में नगरपालिक निगम भिलाई के साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना है ।

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2016 में उल्लेखित **नियम—3. कार्यसूची** — नगरपालिका के सम्मिलन के लिये सूचना में सम्मिलित की जाने वाली कार्यसूची निम्नानुसार होगी,—

(क) पूर्ववर्ती सम्मिलन के कार्यवृत्त की पुष्टि करना,यदि उसकी पुष्टि उस सम्मिलन में न हुई हो;
(ख) पार्षदों द्वारा पूछे गये प्रश्न तथा उनके उत्तर;
(ग) महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार के संबंध में जानकारी;
(घ) कार्यसूची के शेष कामकाज जो पूर्ववर्ती सम्मिलन में संपादित न किये जा सके हों;
(ङ) समितियों या मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सुझाव तथा प्रस्ताव;
(च) पार्षदों द्वारा लोक महत्व के विषयों पर व्यक्तव्य देने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव;

उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिक निगम भिलाई के साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना है। साथ ही केन्द्र प्रवर्तित, राज्य प्रवर्तित योजना तथा वित्त आयोग के अन्तर्गत् चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है।

अतएव साधारण सम्मिलन में विचारार्थ रखे जाने वाले विभागों से संबंधित प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से निगम सचिवालय में सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से भेजे ताकि संधारण सम्मिलन आयोजित करने के लिए तिथि व समय निर्धारित करने संबंधी अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार किया जा सके।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ0क्रमांक / सचिवालय / 2025 / 71 / /भिलाई, दिनांक / 30 /07/ 2025

प्रतिलिपिः—

1. माननीय अध्यक्ष (स्पीकर),नगर पालिक निगम,भिलाई की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम,भिलाई की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner